संख्या-105/2023/I/388265/2023/001-71-2099-263-2021-1

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हृदय रोग संस्थान,
कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 15 सितंबर, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या-हरोस/2023-24/3577, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रू0 1493.75 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु निम्नांकित विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	60/2023/I/303511/2023/001-71-2099-263-2021	18.04.2023	1283.09
2	83/2023/I/348067/2023/003-71-2099-263-2021	12.07.2023	1466.67
योग			**2749.76**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता-अनुदान सामान्य (गैर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 1493.75 लाख (रुपये चौदह करोड़ तिरानवे लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निदेशक, संस्थान के निवर्तन पर अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
2. निदेशक हृदय रोग संस्थान, कानपुर का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
3. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-22/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,93,75,000 (रुपये चौदह करोड़ तिरानवे लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-158-X-2023-24-दिनांक:14-9-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-105/2023/।/388265/2023/001-71-2099-263-2021-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर नगर।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।